रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 548] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 26, 1991/आश्विन 4, 1913

No. 548] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 26, 1991/ASVINA 4, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1991

का.आ. 641 (अ) :—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 801/20/90 स्वा.औ.म.प्र. अव्या. नि. तारीख 11-7-90 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री किशोर रमणिक लाल भट्ट सुपुत्र श्री रमणिक लाल एस. भट्ट को केन्द्रीय जेल, बम्बई की अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे स्वापक औषधियों को छिपाने और भारत से बाहर निर्यात करने में लिप्त रहने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, ग्रेटर बम्बई के समक्ष हाजिर हो।

[फा.सं. 801/20/90-स्वा. औ.म.प्र.अ०व्या.नि.]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDERS

New Delhi, the 26th September, 1991

S.O. 641 (E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 issued order F. No. 801|20|90-PITNDPS dated 11-7-90 under the said sub-section directing that Shri Kishore Ramniklal Bhatt S|o Shri Ramniklal S. Bhatt, be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from engaging in concealment and export from India of Narcotic Drugs.

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed ;

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Greater Bombay within 10 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 801|20|90-PITNDPS]

का.आ. 642 (अ) :—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने जिसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 801/21/90-स्वा औ. एवं म.प्र.व्या.नि. तारीख 11-7-90 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री प्रकाश एन. सावंत पुत्र श्री नाना सावंत को केन्द्रीय जेल, बम्बई की अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे स्वापक औषधियों को भारत से बाहर निर्यात के लिए दुष्प्रेरित करने में लिप्त रहने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3 अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, ग्रेटर बम्बई के समक्ष हाजिर हो।

[फा.सं. 801/21/90-स्वा औ. एवं म.प्र.व्या.नि.]

S.O. 642(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 issued order F. No. 801|21|90-PITNDPS dated 11-7-90 under the said sub-section directing that Shri Prakesh N. Sawant, S|o Shri Nana Sawant be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from engaging in abetting and export from India of Narcotic Drugs.

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed ;

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Greater Bombay within 10 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 801|21|90-PITNDPS]

का.आ. 643 (अ) :—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 और उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 801/32/90 स्वा औ. एवं म.प.आ.व्या.नि. तारीख 5-9-90 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री सरदार हुसैन सुपुत्र मोहम्मद इकबाल को जिला जेल, बाराबंकी (उ.प्र.) की अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे स्वापक औषधियों को कब्जे में रखने और उत्पादन करने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस उपायुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के समक्ष हाजिर हो।

[फा.सं. 801/32/90-स्वा.औ. एवं म.प.अ. व्या.नि]

S.O. 643 (E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 issued order F. N. 801|132|90-PITNDPS dated 5-9-90 under the said sub-section directing that Shri Sardar Husain S|o Mohd. Iqbal be detained and kept in custody in the District Jail, Barabanki (U.P.) with a view to preventing him from engaging in the possession and manufacture of Narcotic Drugs.

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed :

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Deputy Commissioner of Police, U. P. Lucknow within 10 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. N. 801|32|90-PITNDPS]

का. आ. 644 (अ) :—भारत सरकार के संयुक्त सचिव जिसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 801 48.90 स्वा.औ. एवम प.अ. व्यापार निवारण तारीख 18-12-90 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री बिल्लन अहमद उर्फ बिल्लस सुपुत्र श्री मसार अहमद को केन्द्रीय जेल, तिहाड़ की अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे स्वापक औषधियों को कब्जे में रखने, वहन करने, विक्रय करने और खरीदने से रोका जा सके।

2 केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके।

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस उपायुक्त, दरियागंज, दिल्ली के समक्ष हाजिर हो।

[फा.सं. 801/48/90-स्वा.औ. एवं म.प.अ. व्या.नि.]

प्रकाश चन्द्रा, अवर सचिव

S.O. 644(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 issued order F. No. 801|48|90-PITNDPS dated 18-12-90 under the said sub-section directing that Shri Dillan Ahmad @ Dillan S|o Shri Sattar Ahmad be detained and kept in custody in the Central Jail, Tihar with a view to preventing him from engaging in the possession, transportation, sale, and purchase of Narcotic Drugs.

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Deputy Commissioner of Police, Daryaganj Delhi within 10 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 801|48|90-PITNDPS]

PRAKASH CHANDRA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991